30

संख्या- /XVII-5/18-09(17)/2004

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(vi) समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक 06 जून, ~~मई~~, 2018

विषय- विभागों द्वारा उपनल के माध्यम से सेवायें आउटसोर्स किये जाने के संबंध में।

06 Jun 20.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-595/XVII-5/16/09(17)/2004 दिनांक 09 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-685/XVII-5/16/09(17)/2004 दिनांक 05 जुलाई, 2016 द्वारा क्रमशः भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके विधिक आश्रितों को उपनल के माध्यम से सेवायोजित करने के निर्देश दिये गये, किन्तु उक्त शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त उपनल के माध्यम से आउटसोर्स किये जाने के प्रकरणों में लगातार कमी आ रही है।

इस संबंध में दिनांक 04 मई, 2018 को सम्पन्न उच्च स्तरीय राज्य सैनिक परिषद की बैठक में भू0पू0 सैनिकों के रोजगार के दृष्टिगत विभागों को उपनल के माध्यम से ही सर्वप्रथम सेवायें आउटसोर्स किये जाने एवं जिन सेवाओं को उपनल आउटसोर्स करने में असमर्थ हो, ऐसी सेवाओं को अन्य स्रोतों से आउटसोर्स करने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-630/XVII-5/18-09(17)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।